राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांक :– प.135 / नि.अ.मा.वि. / छात्रा. संचा. / 2021–22 / 1354 जयपुर, दिनांकः 10/05/2022

आदेश

बजट घोषणा 2022–23 में घोषित 09 राजकीय अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों का संचालन सत्र 2022–23 से किराये के भवनों में किये जाने की स्वीकृति (इन छात्रावासों के स्वयं के भवन निर्माण होने तक) तथा इन छात्रावासों के संचालन हेतु छात्रावास अधीक्षक के नवीन पद सृजित किए जाने, मानव संसाधन एवं आवश्यक सामग्री (आवर्तक / अनावर्तक) क्रय करने के लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को बजट मद 2225–04–277–01–09 (बालक छात्रावास) एवं 2225–04–277–01–03 (बालिका छात्रावास) के अन्तर्गत विभिन्न उप–मदों में स्वीकृत संख्यानुसार बजट राशि के हस्तान्तरण की स्वीकृति निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

छात्रावास का नाम / क्षमता / पदों का विवरण:–

बजट मदः–2225–04–277–01–09 (बालक छात्रावास)

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	छात्रावास की क्षमता	पदनाम (छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II)	पद संख्या	पे–लेवल	वित्त विभाग की आई. डी. संख्या
1	राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अलवर (जिला मुख्यालय)	50 बैडेड	पुरूष छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	162200545 दिनांक 13.04.22
2	राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, पहाड़ी (कामां), भरतपुर	50 बैडेड	पुरूष छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	
3	राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, धौलपुर (जिला मुख्यालय)	50 बैडेड	पुरूष छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	
4	राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, लाडनूं (नागौर)	50 बैडेड	पुरूष छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	
5	राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर)	50 बैडेड	पुरूष छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	
6	राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, पाली (जिला मुख्यालय)	50 बैडेड	पुरूष छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	162200343 दिनांक 02.03.22

बजट मदः–2225–04–277–01–03 (बालिका छात्रावास)

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	छात्रावास की क्षमता	पदनाम (छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II)	पद संख्या	पे–लेवल	वित्त विभाग की आई. डी. संख्या
1	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अजमेर (संभाग मुख्यालय)	50 बैडेड	महिला छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	162200545 दिनांक 13.04.22
2	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, घड़साना (श्रीगंगानगर)	50 बैडेड	महिला छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	
3	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, भीलवाड़ा (जिला मुख्यालय)	50 बैडेड	महिला छात्रावास अधीक्षक	1	L-5	162200343 दिनांक 02.03.22

कृ.पृ.उ.

उक्त छात्रावासों के लिए उपलब्ध प्रावधान से निम्नानुसार बजट स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि रू. लाखों में)

छात्रावास का प्रकार	मद (01) छात्रावास अधीक्षक संवेतन	मद (05) कार्यालय व्यय (सुरक्षाकर्मी, रसोईया, सफाईकर्मी, बर्तन एवं अन्य)	मद (09) भवन किराया	मद (12) ड्रेस की राशि	*मद (58) कपड़े एवं बिस्तर	मद (61) खाद्य सामग्री	योग
06 बालक छात्रावासों हेतु (2225–04–277–01–09)	12.60	95.70	12.60	7.14	15.00	64.08	207.12
03 बालिका छात्रावास हेतु (2225–04–277–01–03)	6.30	47.85	6.30	3.57	7.50	32.04	103.56
कुल योग							310.68

* नोटः– बालिका छात्रावास लेखाशीर्ष (2225–04–277–01–03) के कपड़े–बिस्तर मद (58) में चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रू. 5.00 लाख का प्रावधान होने के कारण प्रति छात्रावास राशि रू. 1,66,500/– व्यय किये जा सकेंगे। उक्त मद में राशि रू. 2.50 लाख का अतिरिक्त प्रावधान कराये जाने के बाद में शेष राशि रू. 83500/– प्रति छात्रावास व्यय किये जा सकेंगे।

उक्त बजट में से छात्रावास वार स्वीकृति राशि का विवरण **परिशिष्ट–1** पर सलग्न है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी छात्रावास वार स्वीकृत राशि अनुसार ही राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त छात्रावासों के निम्नांकित कार्य Job basis (Outsource of work) पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

लेखाशीर्ष	जॉब बेसिस पर अनुमत कार्य
2225–04–277–01–09–05 (बालक छात्रावास)	सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, रसोईयों का कार्य
2225–04–277–01–03–05 (बालिका छात्रावास)	

शर्तें :–

1. उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवायें नहीं ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जायेगा।
2. जॉब बेसिस पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
4. स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।
5. इन छात्रावासों हेतु रसोईया, चौकीदार, सफाईकर्मी आदि कार्य वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र सं. 01/2018 दिनांक 30.04.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए जॉब बेसिस (Outsource of work) पर कराने की सहमति प्रदान की जाती है।
6. उक्त छात्रावासों के लिए विभागीय मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनावर्तक सामग्री (बिस्तर, बर्तन, रसोईघर हेतु आवश्यक सामग्री) का क्रय RTPP Act 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत नियमानुसार करने की सहमति प्रदान की जाती है।
7. छात्रावास संचालन/सामग्री क्रय की समस्त कार्यवाही कार्यालय आदेश क्रमांक 8679–95 दिनांक 03.12.2020 के अनुसार एवं आवर्तक/अनावर्तक सामान के स्पेसिफिकेशन सूची आदेश क्रमांक 8774–8976 दिनांक 07.12.2020 के अनुसार सम्पन्न कर निदेशालय को अवगत कराया जावे एवं राजकीय छात्रावासों के संचालन हेतु विभाग के आदेश क्रमांक 4665–66 दिनांक 06.07.2015 एवं अन्य जारी आदेश/दिशा–निर्देशों अनुसार किया जाये।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 162200545 दिनांक 13.04.2022 एवं आई. डी. क्रमांक 162200343 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।

सलग्न उपरोक्तानुसार

5-5-2022

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

कृ.पृ.उ.